यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

<u>लाजवन्ती बनाम अख्तरी वगै0</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.01.2025	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः प्रतिवादीगण (अप्रार्थीगण) को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.03.2025 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल ख0 नं0 155 रकबा 0.1300हे0 वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास में विवादित आराजी से प्रार्थीया को जब्रन बेदखल ना करे एवं कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी.तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 03.03.2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)	

3-3-25 वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं०2 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। वास्ते जवाब अप्रार्थी सं०2 एवं इंतजार तामील अप्रार्थी 1, 3 दिनांक 8-3-25 को पेश हो। [signature]

Scanned with OKEN Scanner

8-3-25 पत्रावली पेश हुई। वादी का मूलवाद लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निर्णीत हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 12 R.T.A.Ct भी निर्णीत किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
ता० वि० से० स० किशनगढ़बास
अलवर (राज०)

सदस्य
राष्ट्रीय लो... अदालत
ता० वि० से० ... गढ़बास
अ...

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अ...
ता० वि० से० स० किशन...
अलवर (राज०)